<u>**कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोरबा जिला कोरबा (छ०ग०)**</u>

Official Website- https://korba.dcourts.govt.in

-::शुद्धिपत्र Corrigendum::-

माननीय उच्च न्यायालय छ०ग० बिलासपुर का पृष्ठांकन क्रमांक 11988/डी०ई०/दो-15-3/2023 दिनांक 14-09-2023 एवं छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर का पत्र क्रमांक 571/260/वि/नि/चार/2020 दिनांक 12-09-2023 के पालन में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, कोरबा की स्थापना द्वारा जारी किये गये विज्ञापन क्रमांक 1813/दो-06-04/2023 कोरबा, दिनांक 12 जुलाई, 2023 के **अन्य शर्तें के कंडिका 14 में उल्लेखित स्टायपेण्ड से संबंधित समस्त बातें विलोपित पढ़ा जावे ।**

" **छत्तीसगढ़ जिला न्यायपालिका स्थापना(भर्ती एवं सेवा शर्तें) कर्मचारी नियम, 2023**" के पालन में भृत्य, फर्राश एवं दफ्तरी कम फर्राश पद के लिए **भर्ती की पात्रता की शैक्षणिक योग्यता** " किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/स्कूल से कक्षा 5 वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है " के स्थान पर "**किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पूर्व माध्यमिक शाला अर्थात कक्षा आठवीं उत्तीर्ण हो एवं उम्मीदवार को छत्तीसगढ़ी (बोली)/स्थानीय भाषा (बोली) का ज्ञान होना" प्रतिस्थापित किया जाता है ।**

भृत्य, फर्राश एवं दफ्तरी कम फर्राश पद के लिए कक्षा 12 वीं से अधिक योग्यताधारी अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा ।

आकस्मिकता निधि (कलेक्टर दर) पद के लिए कक्षा 10 वीं से अधिक योग्यताधारी अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा ।

उच्चतम निर्धारित योग्यता से अधिक योग्यता पाये जाने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जावेगा एवं इस संबंध में जानकारी छिपाये जाने पर उसके विरूद्ध आपराधिक मामला दर्ज की कार्यवाही की जावेगी ।

भृत्य एवं आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी के पद के पदों पर <u>**नियुक्ती हेतु चयन विधि**</u> में चयन हेतु रिक्त पदों की संख्या से 05 गुना तक आवेदन प्राप्त होने पर सभी उम्मीदवारों को कौशल परीक्षा हेतु बुलाया जायेगा, किन्तु रिक्त पदों की संख्या से 05 गुना से अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होने पर न्यूनतम योग्यता कक्षा 5 वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर वर्गवारा प्रावीण्यता (मेरिट) पर आधारित होगी ।" उक्त उल्लेखित सभी बातों को विलोपित करते हुए, **आवेदन पत्र सही पाये जाने पर अभ्यर्थियों को अभिवृत्ति व कौशल परीक्षा सह-साक्षात्कार हेतु अवसर प्रदान किया जावेगा एवं अभिवृत्ति एवं कौशल**

परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर वर्गवार चयन सूची तैयार की जाएगी" प्रतिस्थापित किया जाता है ।

साथ ही भृत्य, फर्राश एवं दफ्तरी कम फर्राश ताा आकस्मिकता निधि (चौकीदार, वाटरमेन एवं स्वीपर) के रिक्त पदों पर स्पीड पोस्ट अथवा रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से दिनांक 24/04/2024 शाम 05.00 बजे तक आवेदन पुनः आमंत्रित किया जाता है ।

जिन अभ्यर्थियों के द्वारा पूर्व में आवेदन प्रस्तुत किया गया है, उन्हें पुनः उसी पद हेतु पृथक से नवीन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है, पुनः आवेदन पत्र पेश किये जाने पर द्वितीय आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

9/4/24

गरिमा शर्मा
(अध्यक्ष)
भर्ती समिति
जिला एवं सत्र न्यायालय कोरबा

अनुमोदित

District & Sessions Judge
Korba (C.G.)

<u>कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोरबा जिला कोरबा (छ0ग0)</u>

–:– <u>विज्ञापन</u> –:–

क्रमांक 1813 / दो–06–04 / 2023 कोरबा, दिनांक 12 जुलाई, 2023

<u>आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 14–08–2023 संध्या 5.00 तक</u>

स्पीड पोस्ट अथवा रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से

(अन्य किसी भी माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होगें।)

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोरबा (छत्तीसगढ़) के अंतर्गत **भृत्य, फर्राश एवं दफ्तरी कम फर्राश तथा आकस्मिकता निधि (कलेक्टर दर) पर वेतन पाने वाले कर्मचारी (चौकीदार, वाटरमेन एवं स्वीपर)** के पदों पर सीधी भर्ती हेतु अर्हता प्राप्त भारतीय नागरिकों और भारत शासन द्वारा मान्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारुप में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है :–

रिक्त पदों का विवरण एवं आरक्षण निम्नानुसार है :–

क्र.	रिक्त पद का नाम	कुल रिक्त पद	अनारक्षित पद				आरक्षित पद											
							अन्य पिछड़ा वर्ग				अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति			
			मुक्त	महिला	दिव्यांग	भूतपूर्व सैनिक	मुक्त	महिला	दिव्यांग	भूतपूर्व सैनिक	मुक्त	महिला	दिव्यांग	भूतपूर्व सैनिक	मुक्त	महिला	दिव्यांग	भूतपूर्व सैनिक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.	**भृत्य, फर्राश एवं दफ्तरी कम फर्राश**	8	1	–	1	–	2	–	–	–	1	–	–	–	2	–	1	–
	योग	**8**	**1**	**–**	**1**	**–**	**2**	**–**	**–**	**–**	**1**	**–**	**–**	**–**	**2**	**–**	**1**	**–**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
2.	**आकस्मिकता निधि** (चौकीदार, वाटरमेन एवं स्वीपर)	13	2	2	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	5	2	–	–
	योग	**13**	**2**	**2**	**–**	**–**	**1**	**–**	**–**	**–**	**1**	**–**	**–**	**–**	**5**	**2**	**–**	**–**

नोट :–

1. पदों एवं आरक्षित पदों की संख्या में कमी अथवा वृद्धि हो सकती है।
2. **It is made clear that all appointments shall be subject to the result/final out come of SLP(C) 19668/2022, filed before Hon'ble Supreme Court.**
3. विज्ञापन में कोई भी Corrigendum जारी करना व चयन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना इत्यादि भर्ती समिति का अधिकार होगा, जो कि अंतिम व बंधनकारी होगा एवं इस संबंध में किसी भी पत्र व्यवहार पर विचार नहीं किया जायेगा।
4. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला व भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित पद का लाभ केवल छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को ही प्राप्त होगा। मध्यप्रदेश सहित अन्य राज्य के आरक्षित वर्ग के परीक्षार्थीयों से प्राप्त आवेदन पत्र, अनारक्षित वर्ग के अंतर्गत विचारित किये जायेंगे।

–:– <u>भर्ती की पात्रता</u> –:–

क0	पदनाम	वेतनमान	शैक्षणित योग्यता
1	भृत्य, फर्राश एवं दफ्तरी कम फर्राश पद के लिए	छ0ग0 वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अनुसार मेट्रिक्स लेवल–1 (वेतनमान 15600–49400)	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/स्कूल से कक्षा 5वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है (कक्षा **12वीं** से अधिक योग्यताधारी अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।)
2	आकस्मिकता निधि (कलेक्टर दर) पद के लिए	कलेक्टर कोरबा द्वारा समय–समय पर निर्धारित दैनिक वेतन	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/स्कूल से कक्षा 5वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है (कक्षा **10वीं** से अधिक योग्यताधारी अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।)

<u>उच्चतम निर्धारित योग्यता से अधिक योग्यता पाये जाने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जावेगा एवं इस संबंध में जानकारी छिपाये जाने पर उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की जा सकेगी</u>।

<u>अन्य शर्तें</u> :–

1. अभ्यर्थी का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना चाहिए। (कार्यरत् शासकीय सेवकों के लिये लागू नहीं है) पंजीयन प्रमाण पत्र की स्व–प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।
2. दिनांक 01.01.2023 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो परन्तु 30 वर्ष से अधिक न हो, परन्तु छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय/मूल निवासी अभ्यर्थी के लिये उच्चतर आयु सीमा 40 वर्ष होगी।
3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिला को राज्य शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये परिपत्रों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट पात्रता होगी :–
   i. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 05 वर्ष
   ii. महिला अभ्यर्थियों हेतु 10 वर्ष
   iii. स्थायी अथवा अस्थायी शासकीय कर्मचारी हेतु उपरोक्त छूट के अतिरिक्त 05 वर्ष।

   परन्तु किसी भी परिस्थिति में अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर अन्य राज्य के आवेदकों के लिये अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष ही होगी।
4. आरक्षित वर्ग के उम्मीद्वारों को आवेदन पत्र के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये स्थायी जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, अधिकतम आयु सीमा या विशेष वर्ग में छूट चाहने के प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छांयाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें अनारक्षित वर्ग के विरूद्ध विचारित किया जावेगा।

5. आरक्षित पदों के विरूद्ध चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति के पश्चात् कार्यभार ग्रहण करते समय राज्य शासन के ज्ञापन दिनांक 29.06.2013 में दिये गये प्रारूप के अनुसार जाति के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनका चयन/नियुक्ति निरस्त किया जावेगा।

6. अभ्यर्थी को अच्छा चरित्र, शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ स्वभाव का होना अनिवार्य है तथा किसी भी प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक अस्वस्थता उनकी नियुक्ति हेतु अनर्ह होगी।

7. कोई पुरूष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो और कोई महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित है, वह नियुक्ति का पात्र नहीं होगा, परन्तु यदि शासन का यह समाधान हो जाये कि ऐसा करने का विशेष कारण है तो ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दिया जा सकेगा।

8. अभ्यर्थी किसी शासकीय या वैधानिक संस्था अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सेवा से पृथक अथवा पदच्युत न किया गया हो।

9. कोई भी अभ्यर्थी जिसे किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

10. विज्ञापन में निर्धारित प्रारूप में ही आवेदन पत्र स्वीकार किये जायेंगे। भिन्न प्रारूप में प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त किये जा सकते हैं।

11. चयन प्रक्रिया के संबंध में जिला न्यायाधीश, कोरबा का निर्णय अंतिम व बंधनकारी होगा।

12. जो अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया/प्रतियोगी परीक्षा को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास करेगा, उसकी उम्मीद्वारी किसी भी स्तर पर निरस्त कर दी जावेगी।

13. उक्त भर्ती प्रक्रिया के दौरान किसी को भी सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत जानकारी प्रदान नहीं की जायेगी। भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत केवल 03 माह तक ही सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी प्रदान की जायेगी।

14. भृत्य, फर्राश एवं दफ्तरी कम फर्राश के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्ति किया जायेगा। परिवीक्षा अवधि पर उन्हें निम्नानुसार स्टायपेण्ड देय होगा :-

प्रथम वर्ष – पद के वेतनमान न्यूनतम का 70 प्रतिशत
द्वितीय वर्ष – पद के वेतनमान न्यूनतम का 80 प्रतिशत
तृतीय वर्ष – पद के वेतनमान न्यूनतम का 90 प्रतिशत

परन्तु परिवीक्षा अवधि में स्टायपेण्ड के साथ पात्रतानुसार अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह ही प्राप्त होते रहेंगे। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न होने पर परिवीक्षा अवधि आगे केवल एक वर्ष के लिए और बढ़ाई जा सकेगी। इसके पश्चात् भी यदि यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी के द्वारा अपनी परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं किया गया है, तो उनकी सेवाएं बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकेगी।

15. चयनित अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास प्रमाण पत्र फर्जी पाये जाने की दशा में चयनित अभ्यर्थियों को सूचना दिये बिना, उनकी सेवा समाप्त किया जाकर दाण्डिक

कार्यवाही संस्थित की जा सकेगी।

16. जो अभ्यर्थी शासकीय सेवा/निगम/मण्डल/उपक्रम में कार्यरत हैं, उन्हें नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

17. कोई भी अभ्यर्थी जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

18. आयु संबंधी प्रमाण पत्र के लिए कक्षा 5वीं/8वीं या 10वीं के प्रमाण पत्र अथवा सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र ही मान्य होगें।

–:– <u>आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया</u> –:–

1. प्रारूप अनुसार टंकित एवं पूर्णतः भरे हुए हस्ताक्षरित आवेदन पत्र शैक्षणिक तथा जन्मतिथि के प्रमाण से संबंधित स्वप्रमाणित दस्तावेज एवं अनुभव प्रमाण पत्रों सहित बंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद **भृत्य, फर्राश एवं दफ्तरी कम फर्राश तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी** लिखा हो तथा लिफाफे के बांई ओर विज्ञापन क्रमांक तथा दिनांक का एवं वर्ग का स्पष्ट रूप से उल्लेख हो, **"जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोरबा (छ.ग.) पिन नं. 4 9 5 6 7 7 "** को सम्बोधित होना चाहिए।

2. निर्धारित अंतिम तिथि के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

3. आवेदन पत्र में चस्पा फोटो स्वप्रमाणित होना चाहिए। बिना हस्ताक्षर अथवा फोटो के आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

4. आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक विज्ञापित पद हेतु चाही गई योग्यता धारित करता/करती हो।

5. **ऐसे अभ्यर्थी जो एक से अधिक पद हेतु आवेदन करना चाहते है, उन्हें पृथक–पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा।**

6. अभ्यर्थी के पहचान के रूप में आधार कार्ड/वोटर आईडी/ड्रायविंग लायसेंस/पेन कार्ड में से कोई एक की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

7. अभ्यर्थी को चाहिए कि वह विज्ञापन में दिए गये निर्देशों तथा आवेदन पत्र में वांछित सभी जानकारियो का अत्यंत सावधानीपूर्वक सही एवं पूर्ण भरें। आवेदन पत्र में त्रुटि तथा अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर आवेदन पत्र व उम्मीद्वारी निरस्त किया जा सकेगा।

–:– <u>नियुक्ति हेतु चयन विधि</u> –:–

भृत्य, फर्राश एवं दफ्तरी कम फर्राश के पद हेतु :–
कौशल परीक्षा–20 अंक की होगी।

(अ) भृत्य के पदों पर चयन हेतु रिक्त पदों की संख्या से 05 गुना तक आवेदन प्राप्त होने पर सभी उम्मीद्वारों को कौशल परीक्षा हेतु बुलाया जायेगा, किन्तु रिक्त पदों की संख्या से 05 गुना से अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होने पर न्यूनतम योग्यता कक्षा 5वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर वर्गवार प्रावीण्यता (मेरिट) पर आधारित होगी। समान अंकों की दशा में जन्मतिथि के आधार पर वरिष्ठ को अवसर प्रदान किया जावेगा। जन्मतिथि समान होने पर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जिस अभ्यर्थी का नाम प्रथम आयेगा, उसका चयन किया जावेगा।

आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी के पद हेतु :–

कौशल परीक्षा–20 अंक की होगी।

(अ) आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी के पदों पर चयन हेतु रिक्त पदों की संख्या से 05 गुना तक आवेदन प्राप्त होने पर सभी उम्मीद्वारों को कौशल परीक्षा हेतु बुलाया जायेगा, किन्तु रिक्त पदों की संख्या से 05 गुना से अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होने पर न्यूनतम योग्यता कक्षा 5वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर वर्गवार प्रावीण्यता (मेरिट) पर आधारित होगी। समान अंकों की दशा में जन्मतिथि के आधार पर वरिष्ठ को अवसर प्रदान किया जावेगा। जन्मतिथि समान होने पर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जिस अभ्यर्थी का नाम प्रथम आयेगा, उसका चयन किया जावेगा।

टीप :– यदि किसी अभ्यर्थी को कक्षा 5 वीं में ग्रेड सिस्टम से ग्रेड प्रदान किया गया है तो यह अभ्यर्थी की जिम्मेदारी है कि संबंधित स्कूल से कक्षा 5 वीं में प्राप्त किये गये प्राप्तांकों एवं उनके प्रतिशत का प्रमाण पत्र प्राप्त कर, स्वप्रमाणित दस्तावेज निर्धारित आवेदन प्रारूप के साथ संलग्न करें।

–:– चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची –:–

कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार वर्गवार मेरिट सूची तैयार की जाएगी। जिसमें से अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की चयन सूची एवं विज्ञापित पदों की संख्या के बराबर ही वर्गवार प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी। समान अंकों की दशा में जन्मतिथि के आधार पर वरिष्ठ को अवसर प्रदान किया जावेगा। प्रतीक्षा सूची परिणाम घोषित होने की तिथि से एक वर्ष तक प्रभावशील रहेगी।

चयनित किये गये अभ्यर्थियों की वर्गवार सूची तैयार कर, कार्यालय के वेबसाईट पर अपलोड की जावेगी एवं कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा की जावेगी।

संपूर्ण विज्ञापन एवं आवेदन पत्र का प्रारूप जिला न्यायालय कोरबा के वेबसाईट www.ecourts.gov.in/korba पर उपलब्ध है।

–:– महत्वपूर्ण टीप –:–

1. कौशल परीक्षा के समय समस्त मूल प्रमाण पत्रों को लेकर आना अनिवार्य होगा। मूल प्रमाण पत्र जांच उपरांत ही कौशल परीक्षा में बैठने दिया जावेगा।
2. चयनित अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
3. चयनित अभ्यर्थियों को जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात ही ज्वाईनिंग दी जायेगी तथा आरक्षित वर्ग में चयनित अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान रायपुर

छ0ग0 से किए जाने के बाद ही ज्वाईनिंग दी जायेगी।

4. नियुक्ति आदेश जारी किये गये चयनित अभ्यर्थियों के कार्यभार ग्रहण किये जाने के पश्चात् पुलिस सत्यापन नियमानुसार कराया जायेगा, उसके अपराधिक गतिविधियों में शामिल पाये जाने की दशा में नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

5. प्रशासनिक एवं अन्य अपरिहार्य कारणों से यह विज्ञापन परीक्षा के किसी भी स्तर पर बिना पूर्व सूचना दिये कभी भी निरस्त/स्थगित किया जा सकेगा।

6. अभ्यर्थी जिला न्यायालय कोरबा की वेबसाईड www.ecourts.gov.in/korba से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर कौशल परीक्षा हेतु उपस्थित हो सकेंगे। पृथक से कोई प्रवेश पत्र कार्यालय द्वारा जारी नहीं किया जावेगा। प्रवेश पत्र में अभ्यर्थी के छायाप्रति कॉलम में वर्तमान रंगीन फोटो चस्पा एवं स्व–हस्ताक्षरित कर प्रस्तुत करना होगा। साथ ही पहचान संबंधी दस्तावेज जैसे कि आधार कार्ड/वोटर आईडी/ड्रायविंग लायसेंस/पेन कार्ड में से कोई एक की मूल प्रति के साथ उपस्थित होवें, अन्यथा की दशा में कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जा सकेगा। अभ्यर्थियों को स्वयं के व्यय पर कौशल परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र पर अंकित निर्धारित समय एवं स्थान पर उपस्थित रहना होगा। उन्हें किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में कौशल परीक्षा एक से अधिक दिनों में ली जा सकेगी।

7. प्राप्त आवेदन पत्रों के परीक्षण उपरान्त पात्र एवं अपात्र अभ्यर्थियों की सूची को कार्यालय की वेबसाईट www.ecourts.gov.in/korba पर अपलोड किया जावेगा तथा कार्यालय के सूचना पटल पर भी प्रकाशित किया जायेगा। उक्त प्रकाशन के संबंध में यदि कोई आपत्ति हो तो 07 दिवस के भीतर स्वतः उपस्थित होकर लिखित आपत्ति चयन समिति के समक्ष पेश कर सकेंगे। आपत्ति/आपत्तियों के निराकरण पश्चात् अंतिम पात्र सूची कार्यालय के वेबसाईट www.ecourts.gov.in/korba पर अपलोड की जायेगी। (अभ्यर्थियों को उक्त वेबसाईट का सतत् अवलोकन करते रहने की सलाह दी जाती है।)

8. अभ्यर्थी कौशल परीक्षा के लिए निर्धारित तिथि पर प्रवेश पत्र के प्रारूप को स्वयं भरकर कौशल परीक्षा के लिए निर्धारित समय से 01 घण्टा पूर्व पंजीयन हेतु उपस्थित होगें। विलंब से उपस्थित होने पर कौशल परीक्षा में शामिल नहीं किया जायेगा।

9. यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी कि वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं तथा शर्तों को पूरा करते हैं।

10. नियुक्ति के पश्चात् कोई सारवान जानकारी छुपाये जाने पर सेवा तत्काल समाप्त की जा सकेगी।

12-7-2023

District & Sessions Judge
Korba (C.G.)

अध्यक्ष
भर्ती समिति
जिला एवं सत्र न्यायालय
कोरबा (छ0ग0)

आवेदन पत्र का प्रारूप

(भृत्य, फर्राश एवं दफ्तरी कम फर्राश एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी के पद हेतु)

अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/
अनुसूचित जनजाति वर्ग अंकित करें

अभ्यर्थी अपना नवीनतम रंगीन फोटोग्राफ स्वहस्ताक्षरित कर यहां चस्पा करें।

प्रति,

श्रीमान् जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोरबा (छ0ग0)

1. आवेदित पद का नाम

2. अभ्यर्थी का पूरा नाम (हिन्दी में)

3. अभ्यर्थी का पूरा नाम (अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स में)

4. लिंग– पुरूष/महिला/तृतीय लिंग वर्ग

5. (अ) पिता/पति का नाम

(ब) माता का नाम

6. (अ) पत्र व्यवहार का पता

(ब) **स्थाई पता** (यदि उपरोक्त से भिन्न न हो, तो "तदैव" लिखें)

7. **(अ) जन्म तिथि अंकों में**

(ब) जन्म तिथि शब्दों में

(स) दिनांक 01.01.2023 को आयु

वर्ष		माह		दिन	

8. अभ्यर्थी आयु में छूट का कोई दावा करता है :– हां/नहीं

(यदि हां तो कौन सा दस्तावेज संलग्न कर रहा हैं।)

9. क्या अभ्यर्थी छ0ग0 राज्य का मूल निवासी है? हां/नहीं :–
(यदि हां, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण–पत्र की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें।)

10. क्या अभ्यर्थी छ0ग0 शासन द्वारा छ0ग0 के लिये घोषित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है? हां/नहीं :–
(यदि हां, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी प्रमाण–पत्र की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें।)

11. क्या अभ्यर्थी दिव्यांग है? हां/नहीं
(यदि हां, तो दिव्यांग संबंधी जिला मेडिकल बोर्ड का स्वप्रमाणित प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।)

12. **क्या आप विवाहित हैं ? हां/नहीं**

13. **शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यताः–**

क्र0	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	बोर्ड वि0वि0 का नाम	विषय	प्राप्तांक/ पूर्णांक	प्राप्तांक का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7

14. अन्य योग्यता/अनुभव यदि कोई हो (प्रमाण पत्र संलग्न करें।)

क्र0	पद का नाम	संस्था का नाम	प्रथम नियुक्ति दिनांक	पदस्थ अवधि

15. क्या अभ्यर्थी शासकीय/अर्धशासकीय संस्था में सेवारत है? हां/नहीं ☐
(यदि हां, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति
प्रमाण–पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।)

16. क्या अभ्यर्थी के विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज हुआ है या नहीं ? ☐
यदि हुआ है तो वर्तमान स्थिति ....

17. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूचीः–
(दस्तावेज स्वप्रमाणित होना चाहिए)

1. .... 2. ....
3. .... 4. ....
5. .... 6. ....
7. .... 8. ....

घोषणा–पत्र

मै एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ, कि इस आवेदन पत्र में दिये गये समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य एवं सहीं है एवं आवेदित पद के लिए मैं निर्धारित योग्यता रखता/रखती हूं। उपरोक्त दी गई कोई भी जानकारी अथवा सूचना गलत, असत्य या अपूर्ण पाये जाने पर आवेदित पद के लिए मेरी उम्मीद्वारी रद्द या निरस्त किये जाने योग्य होगी।

दिनांक .... अभ्यर्थी का हस्ताक्षर..
स्थान .... नाम ....
पता ....